न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी

SAR Appeal वाद सं0–02R15/2012

बंधु मुण्डा – अपीलकर्त्ता

बनाम्

शिव कुमार सिंह एवं अन्य

आदेश

आदेश क्रमांक /तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
13.07.2021	यह अपील वाद विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के SAR वाद सं0– 01/2010–11 बंधु मुण्डा बनाम शिव कुमार सिंह एवं अन्य में Bihar Scheduled Area Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत दिनांक 16.03.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध बंधु मुण्डा पे० स्व लालू मुण्डा साकिन बलंगकेल, थाना– रनियां, जिला– खूँटी द्वारा विद्वान उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय में दिनांक 02.06.2012 को दायर किया गया। इस अपीलवाद को विद्वान उपायुक्त, खूँटी द्वारा दिनांक–19.07.2013 को Admit कर अपीलवाद की अग्रेत्तर कार्यवाही/कार्रवाई प्रारंभ की गई। विद्वान उपायुक्त, खूँटी के आदेश दिनांक– 20.06.2016 के अनुपालन में यह अपीलवाद इस न्यायालय को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। दायर Memo Of Appeal, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं इस अपील अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात वाद का विवरण निम्न प्रकार है :– प्रश्नगत भूमि इस जिले के अंचल–रनियां, ग्राम– बलंगकेल, थाना नं०– 124 खाता सं०– 90 प्लॉट सं०– 194 कुल रकबा– 1.21 एकड़ सर्वे खतियान में पुशा मुण्डा वल्द दशई मुण्डा वो लछु मुण्डा वो पातोर मुण्डा वल्द शनिका मुण्डा वो दीना मुण्डा वल्द बंधु मुण्डा कौम मुण्डा साकिन देह टोला बांध टोली व हिस्से बराबर नवैयत कायमी के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत प्लॉट सं०– 194 सर्वे खतियान में बकबजे पुशा मुण्डा वगैरह बसरह नं०–159 कटहर/4 आम/2 करंज/5 लकड़ी वो फल बकबजे रैयत के रूप में दर्ज है। इसी प्लॉट के अंशिक रकबा 0.15 एकड़ भुमि को लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। अंचल अधिकारी रनियां के पत्रांक– 04, दिनांक 27.01.2010 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी लालू मुण्डा वगैरह के नाम से पंजी–II में दर्ज है। अपीलार्थी बंधु मुण्डा, जगरनाथ मुण्डा, दिनेश मुण्डा एवं सोहराय मुण्डा अपने सहोदर भाई है। विपक्षी सं०–1. शिव कुमार सिंह तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रनियां एवं विपक्षी सं०–2. पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति खाते की होने के स्थिति में उपायुक्त, खूँटी से इनके हस्तांतरण हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर विद्यालय भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ	

अपीलार्थी के सगे भाई जगरनाथ मुण्डा, दिनेश मुण्डा एवं सोहराय मुण्डा से नॉटरी पब्लीक खूँटी में शपथ पत्र संख्या–803 दिनांक 15.12.2007 द्वारा अपने–अपने हिस्से का 5–5 डी० जमीन कुल 15 डी० जमीन महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड के पक्ष में शपथ पत्र कार्यान्वित कराये जाने का आरोप है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है अनुसूचित जनजाति खाते की भूमि उपायुक्त के पूर्वानुमति के बगैर निबंधित दस्तावेज के बिना मात्र शपथ पत्र के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

इनका कहना है कि भू–अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत संबंधित रैयत/Persons Interested को उचित प्रतिकर की राशि का भुगतान कर अनुसूचित जनजाति खाते के भूमि को भी अर्जित किया जा सकता है जो इस मामले में नहीं किया गया है। इस संबंध में विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा अंचल अधिकारी रनियाँ के पत्रांक–04 दिनांक–27.04.2010 का भी अनदेखी करने का उलेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Bihar Scheduled Area Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि का वापसी हेतु अनुरोध किया गया है।

दूसरी तरफ इस न्यायालय के पत्रांक–19/न्या० दिनांक–27.08.18 एवं स्मार पत्रांक–22/न्या० के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के पत्रांक–1314 दिनांक–15.10.18 द्वारा प्राप्त दिनेश मुण्डा, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बंदाटोली के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि जगरनाथ मुण्डा दिनेश मुण्डा बंधु मुण्डा (अपीलार्थी) एवं सोहराय मुण्डा 4(चार) भाईयों में से 3(तीन) भाईयों यथा– जगरनाथ मुण्डा, दिनेश मुण्डा एवं सोहराय मुण्डा ने उपर्युक्त शपथ पत्र में अपने अपने हिस्सों का 5–5 डी० जमीन कुल 15 डी० जमीन महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड को विद्यालय भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ दान दिया है, जैसा कि शपथ पत्र में भी अंकित है। साथ ही इस दान को निबंधित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी का अनुमति प्रदान करने हेतु इनके कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित किया गया है जो विचाराधीन है।

यह तथ्यात्मक रूप से सही है कि मात्र शपथ पत्र के माध्यम से अचल सम्पत्ति का निस्तार नहीं किया जा सकता परन्तु विद्यालय भवन निर्माण हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई भू–स्वामियों की सहमति से किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में पक्का विद्यालय भवन/संरचना निर्मित/अवस्थित है।

चूंकी प्रश्नगत भूमि संबंधित हिस्सेदारो द्वारा अपनी सहमति से विद्यालय भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया है एवं प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के हिस्से की भूमि नहीं है।

ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थी द्वारा Bihar Scheduled Area Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत वापस करने हेतु दायर किये गये इस अपीलवाद का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपीलार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि को ही वापसी हेतु Bihar Scheduled Area Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत अपीलवाद दायर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा उनके SAR वाद सं०–02R15/2012 में दिनांक–16.03.2012 को पारित आदेश को

यथावत रखा जाता है।

इसके साथ इस वाद का निस्तार किया जाता है।
आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी एवं अंचल अधिकारी, रनियाँ को आवश्वयक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

13.7.2021
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

13.7.2021
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

Digitally signed by Arvind Kumar
Date: 2021.07.19 15:50:39 +05:30
Location: 192.168.43.12